उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग–3

संख्या बी–3—110/दस–93–2(4)–77–ब्याज
लखनऊ, दिनांक 4 मार्च, 1993

कार्यालय-ज्ञाप

राज्य कर्मचारियों को देय-अग्रिमों पर निर्धारित ब्याज की दरों से सम्बन्धित कार्यालय ज्ञाप संख्या बी–3—2674/दस–92–2(4)77–ब्य 77–ब्याज, दिनांक 21 सितम्बर, 1992 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कर्मचारियों को भव निर्माण निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार हेतु तथा व्यक्तिगत कम्प्यूटर/मोटर कार/मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड/आटो साइकिल एवं बाइसिकिल क्रय हे वित्तीय वित्तीय वर्ष 1992-93 में स्वीकृत अग्रिमों पर ब्याज की दरें अन्तिम रूप से निम्नवत् होंगी :—

1—भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत एवं विस्तार हेतु अग्रिम—

(क)	स्वीकृत अग्रिम 50,000 रु० तक	...	...	...	11.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष
(ख)	स्वीकृत अग्रिम 1,00,000 रु० तक	...	...	...	12.5 ,, ,,
(ग)	स्वीकृत अग्रिम 1,50,000 रु० तक	...	...	...	13.5 ,, ,,
(घ)	स्वीकृत अग्रिम 2,00,000 रु० तक	...	...	...	14.5 ,, ,,
(च)	स्वीकृत अग्रिम 2,25,000 रु० तक	...	...	...	15.0 ,, ,,
(छ)	स्वीकृत अग्रिम 2,50,000 रु० तक	...	...	...	15.5 ,, ,,

2—व्यक्तिगत कम्प्यूटर/मोटर वाहन अग्रिम—

(क)	व्यक्तिगत कम्प्यूटर/मोटर कार अग्रिम	...	...	...	17.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष
(ख)	मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड/आटो साइकिल अग्रिम	...	...	...	14.0 ,, ,,
(ग)	बाइसिकिल अग्रिम	...	...	...	12.0 ,, ,,

किन्तु ऋण/ब्याज के नियमित रूप से प्रतिदान/भुगतान किए जाने पर ब्याज में 3.5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

2—मुझे यह भी कहना है कि अखिल भारतीय सेवा के राज्य संवर्ग के उन अधिकारियों के मामलों में जो "दि आल इण्डिया सर्विसेज (हाउस बिल्डिंग एडवांस) रूल्स, 1978" में की गई व्यवस्था के अनुसार राज्य सरकार के नियमों के अधीन अग्रिम प्राप्त करते हैं, उपर्युक्त दर पर ही ब्याज देय होगा। अन्य अधिकारियों को स्वीकृत अग्रिमों पर "दि आल इंडिया सर्विसेज (हाउस बिल्डिंग एडवांस) रूल्स, 1978" के अनुसार निर्धारित दर पर ब्याज की गणना की जायेगी।

सचिवालय के समस्त अनुभाग।

प्रेम प्रकाश वैरिया,
विशेष सचिव।

संख्या बी–3—110(1)/दस–93–2(4)–77–ब्याज, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) समस्त विभागाध्यक्ष/जिला जज/जिलाधिकारी एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2) महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय (आडि